

ST. MONTFORT SCHOOL, PATEL NAGAR, BHOPAL

SMS/CIR/2025-26/11

Date: 29.07.2025

Dear Parents/Students,

Greetings to you from St. Montfort School.

This is to inform you that as per the instructions issued by the District Collector during a meeting held on **27th July 2025**, the use of **E-Rickshaws for the transportation of school children has been strictly prohibited** due to safety and regulatory concerns.

In light of this directive, we request **all parents/guardians to immediately discontinue** the use of E-Rickshaws as a means of transportation for their wards to and from school if any.

Parents are requested to **make alternative arrangements** for their child's transportation that are safe and legally compliant.

The safety of our students is our topmost priority, and we seek your full cooperation in adhering to this directive.

Thank you for your understanding and support.



Bro. Monachan K K
Principal

सेंट मॉन्टफोर्ट स्कूल, पटेल नगर, भोपाल

SMS/CIR/2025-26/11

Date: 29.07.2025

प्रिय अभिभावकों / छात्रों,

सेंट मॉन्टफोर्ट स्कूल की ओर से आपको शुभकामनाएँ।

यह आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 27 जुलाई 2025 को आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, स्कूल के बच्चों के परिवहन हेतु ई-रिक्शा के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है, जो सुरक्षा और नियमों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

इस निर्देश के अनुसार, सभी अभिभावकों / संरक्षकों से अनुरोध है कि यदि उनके बच्चे ई-रिक्शा से स्कूल आते-जाते हैं, तो वे इस सुविधा का तुरंत उपयोग बंद करें।

आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चे के लिए वैकल्पिक, सुरक्षित और कानूनी रूप से मान्य परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करें।

हमारे छात्रों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस दिशा-निर्देश का पालन करने में हम आप सभी का सहयोग अपेक्षित करते हैं।

आपकी समझदारी और सहयोग के लिए धन्यवाद।



Bro. Monachan K K
Principal

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला-भोपाल

क्रमांक/मान्यता/ई-रिक्शा/2025/7370
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28-7-2025

समस्त संकुल प्राचार्य,
शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल
जिला-भोपाल ।

विषय :- समस्त स्कूलों में ई-रिक्शा को विद्यार्थियों के परिवहन हेतु प्रतिबंधित किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ :- कलेक्टर जिला एवं जिला दण्डाधिकारी भोपाल के पत्र क्रमांक/618/एडीएम/2025 दिनांक 18.07.2025 एवं पुलिस उपायुक्त यातायात नगरीय पुलिस भोपाल के पत्र क्रमांक/पु.उपा/याता/भो/री/149/2025 भोपाल दिनांक 23.07.2025.

उपरोक्त विषयाकित संदर्भित पत्र के माध्यम से जिला सडक सुरक्षा समिति की आहत बैठक दिनांक 27.06.2025 में कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में स्कूल के छात्र छात्राओं के परिवहन हेतु सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित होने के कारण ई-रिक्शा को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

अतः उक्त संबंध में संदर्भित आदेशों के पालन में सभी स्कूल प्रबंधकों को ई-रिक्शा को छात्र छात्राओं के परिवहन हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने के निर्देश दिया जाना सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 28-7-2025

पृ.क्रमांक/मान्यता/ई-रिक्शा/2025/7371
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त, लोक शिक्षण मध्य प्रदेश।
2. कलेक्टर, जिला भोपाल।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल।
4. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण भोपाल संभाग, भोपाल।
5. पुलिस उपायुक्त यातायात नगरीय पुलिस भोपाल।
6. जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र जिला भोपाल।
7. सहोदय ग्रुप भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. समस्त अशासकीय/सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./मा.शि.मण्डल/माध्यमिक/प्राथमिक विद्यालयों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला भोपाल